राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.14(8)वित्त/नियम/2012 जयपुर, दिनांक : 10 NOV 2021

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013–II दिनांक 28.06.2013 जो दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी की गई थी, उक्त अधिसूचना को अधिसूचना क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा पुनः संशोधित करते हुए दिनांक 30.10.2017 तक की वेतन एवं भत्तों की अधिक भुगतान की राशि की वसूली नहीं करने एवं अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 एवं दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय वेतन एवं मंहगाई भत्तें की राशि के अन्तर राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित करने एवं उक्त व्यक्तिगत वेतन को आगामी वेतन में होने वाली वृद्धि से समायोजित करने के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 व दिनांक 09.12.2017 जारी किये गये थे।

उक्त आदेश के पश्चात वर्तमान में किन्हीं प्रकरणों (प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड पे संख्या में संशोधन सहित) में यदि कर्मचारियों से कोई वसूली योग्य राशि बनती है तो ऐसी वसूली को राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

राज्यपाल के आज्ञा से,

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय/राज्यमंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी ।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।

10/11/21

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (नियम)विभाग